

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2024—भाद्र 29, शक 1946

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शालिनी कानसकर पुत्री श्री सी. कुलकर्णी (चक्रधर कुलकर्णी) पति श्री सुरेश मनोहर कानसकर निवासी—ओम साईं प्रकाश कंस्ट्रक्शन ब्लाक नं. 3, गढ़ा रोड, महाराष्ट्र बैंक संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर मध्यप्रदेश मेरे विवाह के पूर्व मेरा नाम आशा कानसकर पिता श्री सी. कुलकर्णी था जो कि मेरे समस्त शिक्षा एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. विवाह के पश्चात् मेरा नाम शालिनी कानसकर हो गया है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. अतः आशा कानसकर एवं शालिनी कानसकर दोनों एक ही महिला के नाम हैं. प्रकाशन उपरान्त मुझे शालिनी कानसकर के नाम से पढ़ा-लिखा, माना-समझा, जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम

(आशा कानसकर)

(G-2005)

नया नाम

(शालिनी कानसकर).

### CHANGE OF NAME

I, Army No. 457133N Rank Ex. NK Name Dineesh Goswami, resident of-72, Om Krishna Kuti, 60 feet Road Indore (M.P.) I have changed my name from Dineesh Goswami to Dinesh Goswami.

(Old Name)

(Dineesh Goswami)

(G-2006)

(New Name)

(Dinesh Goswami).

**CHANGE OF NAME**

I, Izhar Ahmad Ansari S/o Late Ejaz Ahmad Ansari has changed my name to Izhar Ahmad S/o Late Ejaz Ahmad vide affidavit dated : 21<sup>st</sup> July 2024 BFR Notary R.K. Sharma Bhopal.

**(Old Name)****(Izhar Ahmad Ansari)**

(G-2007)

**(New Name)****(Izhar Ahmad).****नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बालकृष्ण पोरवाल पिता रतनलालजी पोरवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी-108, राजस्व कॉलोनी, रतलाम मध्यप्रदेश मैंने अपना पूर्व नाम बालकृष्ण पोरवाल से बदलकर मनीष पोरवाल रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे मनीष पोरवाल के नाम से जाना-पहचाना एवं लिखा-पढ़ा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम****(बालकृष्ण पोरवाल)****(Balkrishana Porwal)**

(G-2008)

**नया नाम****(मनीष पोरवाल)****(Manish Porwal).****नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुशी लाल पिता मंगल निवासी-ग्राम परसवाड़ा तह. बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश मेरे कुछ शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम खुशी लाल सायलवार पिता मंगल सिंह हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम खुशी लाल पिता मंगल है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम खुशी लाल आत्मज मंगल के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम****(खुशी लाल सायलवार)**

(G-2009)

**नया नाम****(खुशी लाल)****पिता-मंगल.****नाम परिवर्तन**

मैं, कल्याण सिंह अहिरवार पुत्र श्री गंगाराम निवासी-वार्ड क्र. 1, राजेन्द्र नगर, बक्सरिया विदिशा, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश मेरे शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम कल्लू अहिरवार दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि में मेरा नाम कल्याण सिंह अहिरवार पुत्र श्री गंगाराम दर्ज है जो कि सत्य है. अतः मुझे सही नाम कल्याण सिंह अहिरवार पुत्र श्री गंगाराम नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

**पुराना नाम****(कल्लू अहिरवार)**

(G-2010)

**नया नाम****(कल्याण सिंह अहिरवार)****पिता-श्री गंगाराम.**

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामभरोस पुत्र श्री शंकरलाल निवासी-ग्राम-झाल पिपली, वीरपुर कोलारडेम, जिला-सीहोर, (म.प्र.) मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दीक्षा (DIKSHA) दर्ज हो गया है, जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों पर सही नाम वंदना (VANDANA) पुत्री रामभरोस लिखा हुआ है जो कि सत्य एवं सही है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/समस्त दस्तावेजों में वंदना (VANDANA) पुत्री रामभरोस के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम (दीक्षा) (DIKSHA) (G-2011)	नया नाम (वंदना) (VANDANA) पुत्री-रामभरोस
--	---

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड व अन्य शासकीय दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम कपूरी बाई जैन दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम कमला रानी जैन पत्नी स्व. श्री नेमीचन्द्र जैन है जो कि मेरे वोटर आईडी कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम कमला रानी जैन पत्नी स्व. श्री नेमीचन्द्र जैन के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (कपूरी बाई जैन) (G-2012)	नया नाम (कमला रानी जैन) पत्नी-स्व. श्री नेमीचन्द्र जैन.
---	---

**नाम परिवर्तन**

मैं रामेश्वर काछी पटैल पिता श्री बलराम पटैल, निवासी-ग्राम-चौका, तहसील-रहली, जिला सागर, (म.प्र.). मेरे पुत्र मोहित काछी पिता रामेश्वर काछी पटैल के शैक्षणिक दस्तावेजों में मोहित काछी (MOHIT KACHHI) अंकित है, जो कि सही है किन्तु आधार कार्ड में मोहित पटैल (MOHIT PATEL) अंकित हो गया है जो त्रुटि पूर्ण है. अतः शासकीय/अशासकीय सभी जगह मेरे पुत्र मोहित काछी का सही नाम लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (G-2013)	नया नाम (रामेश्वर काछी पटैल).
------------------------	----------------------------------

**नाम परिवर्तन**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मोहन सिंह पुत्र श्री फूलसिंह निवासी-ग्राम-खपरिया कलों, तहसील-बाड़ी, जिला-रायसेन, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम धनराज (DHANRAJ) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे बेटे के जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज पर सही नाम मनीष कुमार (Manish Kumar) पुत्र श्री मोहन सिंह लिखा हुआ है जो कि सही है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/समस्त दस्तावेजों में मनीष कुमार (Manish Kumar) पुत्र श्री मोहन सिंह के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम (G-2014)	नया नाम प्रार्थी (मोहन सिंह).
------------------------	-------------------------------------

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती गीता बाई पत्नी श्री मनोज वर्मा, निवासी-वार्ड नं. 9, रेल्वे फाटक के पास औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला-रायसेन, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम मयंक लोधी दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम अंकुश लोधी दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंकुश लोधी पिता मनोज लोधी के नाम से जाना-पहचाना व पढ़ा-लिखा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम (मयंक लोधी) (G-2015)	नया नाम (अंकुश लोधी) पिता-श्री मनोज लोधी.
---------------------------------------	---

### नाम परिवर्तन

मैं, अटल तिवारी पुत्र श्री रामसभा तिवारी, निवासी-म.नं.-143, श्रीनाथ टाउन कॉलोनी, भाटखेड़ी पंचायत महू, जिला-इन्दौर, (म.प्र.) मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम प्रांशुल तिवारी दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम प्रियांशी तिवारी (PRIYANSHI TIWARI) पुत्री अटल तिवारी, अंकित है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/समस्त दस्तावेजों में प्रियांशी तिवारी (PRIYANSHI TIWARI) पुत्री अटल तिवारी के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

(G-2016)	भवदीय (अटल तिवारी).
----------	------------------------

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कशिश बी आत्मज अनवर खां निवासी इनायतपुर, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में खुशबु है, जो कि अब परिवर्तित करवाया गया है. इसलिए अब मेरा नाम कशिश बी अंकित किया गया है. भविष्य में सभी सरकारी अभिलेखों में मेरा नाम कशिश बी ही अंकित किया जाए. शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कशिश बी है.

(G-2017)	प्रार्थी (कु. कशिश बी). निवासी-17,इनायतपुर, कोलार रोड, भोपाल, (म.प्र.)
----------	--

### नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. सुनीता सिंह पत्नी स्व. डॉ. मयंक सिंह, निवासी-एम.आई.जी. बी-73, चिरहुला कॉलोनी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) मैंने अपनी नाबालिक बेटी शृष्टि सिंह का नाम बदलकर त्रिषा सिंह रख लिया है.

(G-2018)	भवदीय, डॉ. सुनीता सिंह
----------	---------------------------

### नाम परिवर्तन

मैं, विनय ओम मल्होत्रा (VINAY OM MALHOTRA) पुत्र श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा निवासी-एम.आई.जी.-179, धनवंतरी नगर, रॉयल स्कूल के पीछे, गढ़ा, जबलपुर (म.प्र.) पूर्व में मेरे शेर सर्टिफिकेट में मेरा नाम विककी मल्होत्रा लिखा है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विनय ओम मल्होत्रा दर्ज है. विककी मल्होत्रा एवं विनय ओम मल्होत्रा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम विनय ओम मल्होत्रा (VINAY OM MALHOTRA) पुत्र श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(विककी मल्होत्रा)

नया नाम  
(विनय ओम मल्होत्रा)  
(VINAY OM MALHOTRA)  
पुत्र - श्री ओम प्रकाश मल्होत्रा.

(G-2019)

### नाम परिवर्तन

मैं, पूजा सिंह पुत्री श्री सुरेश भान, निवासी-231, वार्ड नं. 8, जजुवाल कटनी, (म.प्र.). मेरे स्कूल के दस्तावेजों में मेरा त्रुटिवश पूजा राजपूत, पूजा सिंह राजपूत पुत्री सुरेश भान राजपूत एवं मेरी माता कनक सिंह राजपूत लिखा है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम पूजा सिंह (POOJA SINGH) पिता श्री सुरेश भान (SURESH BHAN) एवं माता का नाम कनक सिंह (KANAK SINGH) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(पूजा सिंह राजपूत)

नया नाम  
(पूजा सिंह)  
(POOJA SINGH)  
पिता सुरेश भान (SURESH BHAN)

(G-2020)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती पूनम बैस (POONAM BAIS) पत्नी श्री सुबोध सिंह बैस मेरा पूर्व का नाम श्रीमती राम सखी (RAM SAKHEE) था. जो मेरी पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं, श्रीमती पूनम बैस पत्नी श्री सुबोध सिंह बैस के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा गया है. श्रीमती पूनम बैस एवं राम सखी दोनों नाम मेरे ही यानि एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम श्रीमती पूनम बैस (POONAM BAIS) पत्नी श्री सुबोध सिंह बैस के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम  
(राम सखी)

नया नाम  
(पूनम बैस)  
पत्नी - श्री सुबोध सिंह बैस,

(G-2021)

पता-न्यू कांच मिल, गली नं. 1, बिरला नगर, ग्वालियर

### नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सोमेश्वर कृष्ण क्षिरसागर (SOMESHWAR KRISHNA KSHIRSAGAR) है. जिसे बदलकर मैंने अपना नया नाम सोमेश्वर कृष्ण क्षिरसागर (SOMESHWAR KRISHNA KSHIRSAGAR) आत्मज श्री कृष्ण रामचन्द्र क्षिरसागर रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे नये नाम सोमेश्वर कृष्ण क्षिरसागर (SOMESHWAR KRISHNA KSHIRSAGAR) के नाम से जाना एवं पहचाना व पढ़ा जाये.

पुराना नाम  
(सोमेश्वर कृष्ण क्षिरसागर)  
(SOMESHWAR KRISHNA KSHIRSAGAR)

नया नाम  
(सोमेश्वर कृष्ण क्षिरसागर)  
(SOMESHWAR KRISHNA KSHIRSAGAR)  
पुत्र श्री कृष्ण रामचन्द्र क्षिरसागर  
पता- फ्लैट नं. ए-4-309, नीलकंठ आकृति ग्रीन सलैया,  
बावड़ियाकलां, तह. हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)

(G-2022)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुराना नाम – कापूरा किस्कू (KAPURA KISKU) पुत्री श्री मानसिंह किस्कू (MANSING KISKU), जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. मेरा नाम ग्रेस मरिया (GRACE MARIA) पुत्री श्री मानसिंह किस्कू (MAAN SINGH KISKU), था. जो मेरे आधार कार्ड एवं पेनकार्ड में अंकित है. अब, मैंने अपना नाम कापूरा किस्कू (KAPURA KISKU) पुत्री श्री मानसिंह किस्कू (MANSING KISKU) कर लिया है. अब, मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

**प्रार्थी****(कापूरा किस्कू)****(KAPURA KISKU)**

(G-2023)

पता – 1999, माउंट कर्नल प्रोविन्सिलेट,  
अरविन्द विहार, बाग मुगालिया, भोपाल.**नाम परिवर्तन**

पूर्व में मेरा नाम चिंतामणि पालिया, (Chintamani Paliya) था. जिसे बदलकर मैंने चंचल पालिया, (Chanchal Paliya) कर लिया है. प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मुझे चंचल पालिया (Chanchal Paliya) के नाम से जाना-पहचाना पढ़ा-लिखा दर्ज किया जावेगा.

**प्रार्थिनी****(चंचल पालिया)****(Chanchal Paliya)**

(G-2024)

निवासी :- 931, द्वारकापुरी, जिला-इंदौर, (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलेश यदुवंशी (Neelesh Yaduwanshi) आत्मज श्री बिदुर सिंह (Bidur Singh), निवासी-मं.नं. 20, ग्राम बनाड़ा पोस्ट लोघड़ी, तहसील सिवनी मालवा, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.) का हूँ. महोदय मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नीलेश (Neelesh) अंकित है जो कि मेरा पूरा नाम नहीं है, मेरे पेन कार्ड के अनुसार मेरा सही व पूरा नाम नीलेश यदुवंशी (Neelesh Yaduwanshi) आत्मज श्री बिदुर सिंह (Bidur Singh) है. मैं, इसी नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम नीलेश यदुवंशी (Neelesh Yaduwanshi) आत्मज श्री बिदुर सिंह (Bidur Singh) के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं बोला जाये.

**पुराना नाम****(नीलेश)****(Neelesh)****पुत्र श्री बिदुर सिंह (Bidur Singh)**

(G-2025)

**नया नाम****(नीलेश यदुवंशी)****(Neelesh Yaduwanshi)****श्री बिदुर सिंह (Bidur Singh).****नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरविंद सिंह (Arvind Singh) आत्मज सृजान सिंह मेवाड़ा, पूर्व में मेरी पुत्री का नाम सरिता मेवाड़ा (Sarita Mewada) पुत्री श्री अरविंद सिंह (Arvind Singh) के स्थान पर अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर श्रेया पटेल (Shreya Patel) पुत्री श्री अरविंद सिंह (Arvind Singh) कर लिया है यही नाम उसके जन्म प्रमाण-पत्र में भी है जो सही है. प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को श्रेया पटेल (Shreya Patel) पुत्री श्री अरविंद सिंह (Arvind Singh) के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा बोला जाये.

**आवेदक****(अरविंद सिंह)****(Arvind Singh)**

(G-2026)

पता – म.नं. 6/1, हनुमान मंदिर के पास,  
ग्राम हीरापुर, आष्टा सीहोर, (म.प्र.)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष सेन (Santosh Sen) आत्मज श्री गोकुल सेन. मेरी अव्यस्क पुत्री रजनी सेन (Rajni Sen) जिसके आधार कार्ड में उसका नाम लक्ष्मी सेन (Laxmi Sen) पुत्री श्री संतोष सेन (Santosh Sen) अंकित है किंतु मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम रजनी सेन (Rajni Sen) पुत्री श्री संतोष सेन (Santosh Sen) है मेरी पुत्री इसी नाम से जानी व पहचानी जाती है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को उसके सही नाम रजनी सेन (Rajni Sen) पुत्री श्री संतोष सेन (Santosh Sen) के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा-सुना, समझा बोला जाये.

**आवेदक****(संतोष सेन)****(Santosh Sen)**

(G-2027)

पता – ग्राम तेंदुआढ़, पोस्ट बराछ,  
तह. जैसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम मीत जादौन से बदलकर नया नाम मेहुल प्रताप सिंह जादौन रख लिया है. प्रकाशन उपरांत मुझे सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम मेहुल प्रताप सिंह जादौन के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे.

**पुराना नाम****(मीत जादौन)****नया नाम****(मेहुल प्रताप सिंह जादौन)****S/o राघवेंद्र सिंह जादौन**

(G-2028)

निवासी-मॉर्डन कॉन्वेंट स्कूल के पास, कमल सिंह का बाग,  
शिंदे की छावनी, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व में घरु नाम ADVIKA GUPTA था. वर्तमान में मैंने अपनी पुत्री का नाम बदलकर ANAYA GUPTA रख लिया है. यही नाम उसके आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों में दर्ज है. ADVIKA GUPTA और ANAYA GUPTA दोनों नाम मेरी ही पुत्री के हैं, भविष्य में मेरी पुत्री को ANAYA GUPTA D/o ANSHUL GUPTA के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

**आवेदक****(ANSHUL GUPTA)**

R/o Morena Takij Ke Samne, Saroj Tower,

(G-2029)

B-Block, Flat No. 412, Rui Ki Mandi, Morena (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शैलजा फालके (SHAILJA PHALKE) है, यही नाम मेरे आधार कार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरे पेनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, बैंक पासबुक एवं पेंशन के कागजों में मेरा विवाह से पूर्व का नाम पुष्पा मुले (PUSHPA MULEY) दर्ज है. शैलजा फालके और पुष्पा मुले मुझ एक ही महिला के नाम हैं. भविष्य में समस्त प्रयोजनों हेतु मुझे पुष्पा मुले के स्थान पर शैलजा फालके के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम शैलजा फालके (SHAILJA PHALKE) दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम****(पुष्पा मुले)****(PUSHPA MULEY)**

(G-2030)

**नया नाम****(शैलजा फालके)****(SHAILJA PHALKE)**

W/o स्व. श्री उल्हास विश्वनाथ फालके,

निवासी-आर्शीवाद भवन, अशोक विहार कॉलोनी, शिवपुरी (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, मो. अरीब खान (MOHD AREEB KHAN) पुत्र मुख्तार असलम, निवासी-म.नं.-119, सी ब्राइट कॉलोनी, ईदगाल हिल्स, भोपाल (म.प्र.) यह कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मोहम्मद अरीब खान (MOHAMMAD AREEB KHAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है, जबकि मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा सही व वास्तविक नाम मो. अरीब खान (MOHD AREEB KHAN) अंकित है जो कि सही एवं सत्य है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मो. अरीब खान (MOHD AREEB KHAN) के नाम से जाना-पहचाना वा लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(मोहम्मद अरीब खान)  
**(MOHAMMAD AREEB KHAN)**  
(G-2031)

नया नाम  
(मो. अरीब खान)  
**(MOHD AREEB KHAN)**  
पुत्र-मुख्तार असलम

**PUBLIC NOTICE**

This is to notify that shri shivnarayan Vijayvargiya S/o Shri Shankarlal Vijayvargiya resident of ward no. 11, Brahmipuri Colony, Shujalpur Mandi, Dist. Shajapur, (M.P.) has been admitted as new partner in M/s S.S. Enterprises, (Regi. No. 07/36/06/00099/12) Registered Address Shop No. 103, First Floor, The City Center Mall Shujalpur, Dist. Shajapur (M.P.)-465333 in said firm by mutual consent with effect from 1.1.2024.

(G-2032)

**For S.S. Enterprises**  
**Praffull Vijayvargiya**  
**Partner**

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व नाम श्रीमती मंजू पति श्री राजेन्द्र पुंगलिया था, अब मैं, अपना वास्तविक नाम श्रीमती मधु पति श्री राजेन्द्र पुंगलिया दर्ज करवाना चाहती हूँ. प्रकाशन उपरान्त मुझे श्रीमती मधु पति श्री राजेन्द्र पुंगलिया नाम से जानी एवं पहचानी जाउंगी.

पुराना नाम  
(मंजू पति श्री राजेन्द्र पुंगलिया)  
(G-2033)

नया नाम  
(मधु पति श्री राजेन्द्र पुंगलिया)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी संरक्षित पुत्री का नाम कु. अर्चिता मालवीय पिता स्व. सीताराम मालवीय है, जो कि उसके सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, भविष्य में मेरी संरक्षित पुत्री कु. अर्चिता सिसोदिया जनक पिता स्व. श्री सीताराम मालवीय संरक्षक पिता श्री वीरेन्द्र सिसोदिया के नाम से जाना-पहचाना जावे.

(G-2034)

**भवदीय**  
**कु. अर्चिता सिसोदिया**  
पुत्री-स्व. श्री सीताराम मालवीय  
संरक्षक श्री वीरेन्द्र सिसोदिया



**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S MORENA MULTY SPECIALITY HOSPITAL जो 01, IN FRONT OF HARIRAJ TALKIES, M.S. ROAD, MORENA (M.P.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02/44/01/0154/23, दिनांक 10 नवम्बर 2023 है. जिसमें दिनांक 24 अगस्त 2024 को भागीदार (1) नितिन शर्मा पुत्र रामगोविन्द शर्मा निवासी-पाठक गली माता मंदिर के पीछे केशव कॉलोनी मुरैना एवं (2) विकल्प राठौर पुत्र मुकेश राठौर निवासी-गया प्रसाद पसारी बाजार, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 24 अगस्त 2024 को गीता शर्मा पत्नी राम गोविन्द शर्मा, निवासी-109/37, पाठक गली, केशव कॉलोनी, मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गयी है.

M/S MORENA MULTY SPECIALITY HOSPITAL

राज कुमार गर्ग (भागीदार)

01, IN FRONT OF HARIRAJ TALKIES,

M.S. ROAD, MORENA (M.P.)

(G-2035)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का बोलता नाम अभय शर्मा (ABHAY SHARMA) है, जो मेरे कुछ शासकीय रिकार्ड में अंकित है जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम अभय दुबे (ABHAY DUBEY) पुत्र स्व. श्री विनीत दुबे है, जो मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अभय दुबे एवं अभय शर्मा दोनों नाम मेरे ही हैं यानि एक ही व्यक्ति के हैं. अतः भविष्य में मुझे मेरे वास्तविक नाम अभय दुबे (ABHAY DUBEY) पुत्र स्व. श्री विनीत दुबे के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

(अभय शर्मा)

(ABHAY SHARMA)

नया नाम

(अभय दुबे)

(ABHAY DUBEY)

पुत्र श्री विनीत दुबे

निवासी-जे-278, दर्पण कॉलोनी,

ठाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2036)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स साईं श्रद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर हरदा, जो कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा जिला हरदा में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 01/08/02/00242/11 दिनांक 13 सितम्बर 2011 है. जिसमें दिनांक 01 अप्रैल 2017 को भागीदार श्री राकेश कुमार त्यागी पुत्र श्री सामलिया प्रसाद त्यागी, निवासी- कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01 अप्रैल 2017 को श्री राहुल त्यागी पुत्र श्री राकेश कुमार त्यागी निवासी-कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं. एवं दिनांक 6 जनवरी 2019 को भागीदार श्री राहुल त्यागी पुत्र श्री राकेश कुमार त्यागी निवासी-कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 7 जनवरी 2019 को श्री राकेश कुमार त्यागी पुत्र श्री सामलिया प्रसाद त्यागी निवासी कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को भागीदार श्री राकेश कुमार त्यागी पुत्र श्री सामलिया प्रसाद त्यागी, निवासी कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को श्री राहुल त्यागी पुत्र श्री राकेश कुमार त्यागी निवासी-ईश्वरी कुंज कॉलोनी हरदा जिला हरदा (म.प्र.) फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं इसी दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से फर्म का मुख्य कार्यालय कसेरा मोहल्ला गोलापुरा जिला हरदा से परिवर्तित कर फर्म का नवीन कार्यालय वार्ड नं. 7 परिक्षेत्र नं. 1 म.नं. 4 एम.एस. रोड, मुरैना गांव जिला मुरैना (म.प्र.) हो गया है.

मेसर्स साईं श्रद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर हरदा

शोलेष सिंह सिकरवार

(भागीदार)

कसेरा मोहल्ला गोलापुरा हरदा, जिला हरदा.

(G-2037)

### नाम परिवर्तन

मैं, अरशिया एस केवलरमानी (ARRSHYA S KEWALRRAMANI) पत्नी संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व नाम अरशिया केवलरमानी (ARSHIA KEWALRAMANI) था जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, अरशिया एस केवलरमानी (ARRSHYA S KEWALRRAMANI) पत्नी संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊंगी। अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम अरशिया केवलरमानी (ARSHIA KEWALRAMANI) के स्थान पर मेरा नाम अरशिया एस केवलरमानी (ARRSHYA S KEWALRRAMANI) लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(अरशिया केवलरमानी)

(ARSHIA KEWALRAMANI)

(G-2038)

नया नाम

(अरशिया एस केवलरमानी)

(ARRSHYA S KEWALRRAMANI)

पत्नी-संजय केवलरमानी

पता : फ्लेट न. 301, थर्ड फ्लोर,

384, पुष्परतन लेडमार्क, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) पुत्र कन्हैयालाल केवलरमानी, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व नाम संजय केवलरमानी (SANJAY KEWALRAMANI) था जो कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) पुत्र कन्हैयालाल केवलरमानी के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ एवं जाऊंगा। अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम संजय केवलरमानी (SANJAY KEWALRAMANI) के स्थान पर मेरा नाम संजय केवलरमानी (SUNJAY KEWALRRAMANI) लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(संजय केवलरमानी)

(SANJAY KEWALRAMANI)

(G-2039)

नया नाम

(संजय केवलरमानी)

(SUNJAY KEWALRRAMANI)

पुत्र-कन्हैयालाल केवलरमानी

पता : फ्लेट न. 301, थर्ड फ्लोर,

384, पुष्परतन लेडमार्क, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, रूपवती कोरकू (ROOPWATI KORKU) पत्नी नरेश कोरकू सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम बेबी (BAIBEE) था जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, रूपवती कोरकू पत्नी नरेश कोरकू के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं जाऊँगी। जो मेरे समग्र आईडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है। रूपवती कोरकू एवं बेबी दोनों मेरे ही नाम हैं। अतः प्रकाशन उपरान्त बेबी के स्थान पर मुझे नये परिवर्तित नाम रूपवती कोरकू लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(बेबी)

(G-2040)

नया नाम

(रूपवती कोरकू)

पत्नी-नरेश कोरकू

पता - आदिवासी मौहल्ला, भीम नगर, मुरार थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स शिशुपाल सिंह कन्स्ट्रक्शन एण्ड बोरबैल कम्पनी जो 24-25, आजाद मार्ग, अम्बाह जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. ARG/FIRM/80 दिनांक 22 जनवरी 2002 है, जिसमें लिखतम दिनांक 3 फरवरी 2014 अनुसार भागीदार श्रीमती मुन्नी देवी सिंह पत्नी श्री विधाराम सिंह सिकरवार निवासी-दीक्षित गली, गोपाल पुरा मुरैना कि मृत्यु दिनांक 27 जून 2010 एवं श्री नारायण सिंह तोमर पुत्र श्री मुलायम सिंह तोमर निवासी विरहरूआ तहसील अम्बाह जिला मुरैना की मृत्यु दिनांक 26 मई 2013 को हो जाने के कारण फर्म से पृथक हो गये हैं। एवं इसी दिनांक 3 फरवरी 2014 को भागीदार (1) हमीर सिंह तोमर पुत्र श्री करन सिंह तोमर निवासी ग्राम विरेहरूआ तहसील अम्बाह जिला मुरैना (2) निर्भय सिंह तोमर पुत्र श्री कीरत सिंह तोमर निवासी ग्राम विरेहरूआ तहसील अम्बाह जिला मुरैना (3) गजेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री करन सिंह तोमर निवासी विरेहरूआ तहसील अम्बाह जिला मुरैना (4) अशोक सिंह तोमर पुत्र श्री शिशुपाल सिंह तोमर निवासी बी.टी.आई. रोड मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। दिनांक 8 जून 2022 भागीदार (1) श्री हमीर सिंह तोमर पुत्र श्री करन सिंह तोमर निवासी ग्राम विरेहरूआ तहसील अम्बाह जिला मुरैना (2) निर्भय सिंह तोमर पुत्र श्री कीरत सिंह तोमर निवासी ग्राम विरेहरूआ तहसील अम्बाह जिला मुरैना (3) गजेन्द्र सिंह तोमर पुत्र श्री करन सिंह तोमर निवासी विरेहरूआ अम्बाह जिला मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं। दिनांक 15 अगस्त 2024 को श्री अनुभव सिंह राजावत पुत्र श्री संजय राजावत निवासी आजाद मार्ग वार्ड नं. 8, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं।

मेसर्स शिशुपाल सिंह कन्स्ट्रक्शन एण्ड बोरबैल कम्पनी  
(शिशुपाल सिंह तोमर)  
भागीदार

(G-2041)

पता-24-25, आजाद मार्ग, अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

मैं, शुभम बिरला shubham Birla आत्मज श्री गजानंद, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम शुभम बिरला shubham Birla आत्मज श्री गजानंद है जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में अंकित है। किंतु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि से सुभम subham आत्मज श्री गजानंद अंकित हो गया है जो कि गलत है। इस विज्ञप्ति के उपरांत मुझे सभी शासकीय अर्द्धशासकीय एवं अन्य दस्तावेजों में शुभम बिरला shubham birla आत्मज श्री गजानंद के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जाए।

पुराना नाम  
(सुभम)  
(Subham)

नया नाम  
(शुभम बिरला)  
(Shubham birla)  
आत्मज श्री गजानंद

(G-2042)

पता-397, टाइप-2, एस.एल-1, स्क्रीम नं. 78,  
इंदौर, मध्यप्रदेश.

### आम सूचना

मेसर्स अंशुल फार्मा का दिनांक 15 मार्च 2021 में भागीदार फर्म के रूप में निर्माण हुआ। जिसमें श्री आलोक कुमार जैन एवं श्री अवि जैन भागीदार हैं। यह फर्म रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएँ जबलपुर में दिनांक 26 मार्च 2021 में रजिस्टर्ड हुई हैं। जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0371/21 हैं। तथा फर्म का पता 101, मुस्कान हाइट, नेपिर टाउन, शास्त्री ब्रिज, जबलपुर (म.प्र.) था।

फर्म कि द्वितीय भागीदार अभिलेख दिनांक 14 जून 2024 के अनुसार फर्म के कार्यालय का मुख्य पता - श्री राजेन्द्रम, प्लॉट नंबर 5/1, II<sup>nd</sup> फ्लोर, नव आदर्श कॉलोनी, एम. आर. -4 रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482002 किया गया।

मेसर्स अंशुल फार्मा  
(अवि जैन)  
भागीदार

(G-2043)

पता-श्री राजेन्द्रम, प्लॉट नंबर 5/1, II<sup>nd</sup> फ्लोर,  
नव आदर्श कॉलोनी, एम.आर.-4 रोड़, जबलपुर (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रजनी पत्नी बंटी आयु 28 वर्ष निवासी-ग्राम दुलिया, जिला हरदा मध्यप्रदेश की निवासी हूँ यह कि मेरा वास्तविक नाम रजनी (RAJNI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश बुलबुल पाल हो गया है, अब मैं, अपने वास्तविक व नये नाम रजनी (RAJNI) के नाम से जानी जाऊंगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(बुलबुल पाल)  
(BULBUL PAL)

(G-2044)

नया नाम

(रजनी)  
(RAJNI).

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुन्नालाल आदिवासी पिता घासीराम आदिवासी आयु 64 वर्ष निवासी-ग्राम सईदपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) का निवासी हूँ, मेरा वास्तविक नाम मुन्नालाल आदिवासी (MUNNA LAL ADIVASHI) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश शिवनारायण अंकित हो गया था, अब मैं, अपने नये नाम मुन्नालाल आदिवासी (MUNNA LAL ADIVASHI) के नाम से जाना जाऊंगा, एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(शिवनारायण)  
(SHIVNARAYAN)

(G-2045)

नया नाम

(मुन्नालाल आदिवासी)  
(MUNNA LAL ADIVASHI).

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सुधीर इंडस्ट्रीज, पता-इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) में स्थित है जिसका फर्म एवं सोसायटी कार्यालय भोपाल में पंजीयन क्र. 99 सन् 1999-2000 में दिनांक 19 जनवरी 2000 में पंजीयत है. जिसमें पार्टनरशिप डीड दिनांक 1 अप्रैल 1995 में 1) कैलाश डोंगरे 2) माया कठल पार्टनर थे, उपरांत 1 अप्रैल 2010 को एक पार्टनर आरती संधु सम्मिलित हुई, दिनांक 1 अप्रैल 2010 को तीन पार्टनर क्रमशः 1) कैलाश डोंगरे 2) माया कठल, 3) आरती संधु थे, जिसमें दिनांक 1 अप्रैल 2024 को पार्टनर कैलाश डोंगरे, पता-न्याश कालोनी इटारसी जिला होशंगाबाद (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं, तथा इसी दिन, दिनांक 1 अप्रैल 2024 को दो नये भागीदार 1) अभिमन्यु कठल पिता श्री सुनील कुमार कठल, इटारसी एवं 2) अमन सिंह पिता श्री मनमीत सिंह सिंधु, पता : विला - 17, फेस-3, पेवलवे, होशंगाबाद रोड, भोपाल फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं. अब दिनांक 1 अप्रैल 2024 से फर्म में चार भागीदार क्रमशः 1) माया कठल, 2) आरती संधु 3) अभिमन्यु कठल 4) अमन सिंह रहेंगे.

मेसर्स सुधीर इंडस्ट्रीज

अभिमन्यु कठल

(भागीदार)

(G-2046)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसएमएस इन्फ्रा फर्म जिसका पता-17, सीताबाघ कॉलोनी, बिहाइंड रीगल टॉकीज, इंदौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0182/23 दिनांक 14 जुलाई 2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री संजय दासोत पिता श्री देवेन्द्र कुमार दासोत 2. श्रीमती शिवानी दासोत पति श्री अमन दासोत थे. तत्पश्चात् दिनांक 1 अप्रैल 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री अमन दासोत पिता श्री संजय दासोत भागीदारी फर्म मेसर्स एसएमएस इन्फ्रा में सम्मिलित हो गये हैं एवं श्रीमती शिवानी दासोत पति श्री अमन दासोत भागीदारी फर्म मेसर्स एसएमएस इन्फ्रा से पृथक् हो गए हैं. प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स एसएमएस इन्फ्रा से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है.

मेसर्स एसएमएस इन्फ्रा

1. संजय दासोत
2. अमन दासोत  
(भागीदार).

(G-2047)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एस.डी. रियल्टी फर्म जिसका पता-17, सीताबाग कॉलोनी, इंदौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0295/22 दिनांक 20 अक्टूबर 2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री संजय दासोत पिता श्री देवेन्द्र कुमार दासोत 2. श्रीमती शिवानी दासोत पति श्री अमन दासोत थे. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल 2023 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री अमन दासोत पिता श्री संजय दासोत भागीदारी फर्म मेसर्स एस.डी. रियल्टी में सम्मिलित हो गये हैं तथा श्रीमती शिवानी दासोत पति श्री अमन दासोत भागीदारी फर्म मेसर्स एस.डी. रियल्टी से पृथक् हो गये हैं प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स एस.डी. रियल्टी से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है. वर्तमान में 1. श्री संजय दासोत पिता श्री देवेन्द्र कुमार दासोत 2. श्री अमन दासोत पिता श्री संजय दासोत फर्म मेसर्स एस.डी. रियल्टी के भागीदार हैं.

मेसर्स एस.डी. रियल्टी

1. संजय दासोत
2. अमन दासोत  
(भागीदार).

(G-2048)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स आदित्य रियलिटीज फर्म जिसका पता-15, यशवंत कॉलोनी, अपोजिट यशवंत क्लब, इंदौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0396/22 दिनांक 16 फरवरी 2022 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री राज बीसाणी पिता श्री रजत बीसाणी 2. श्री राजेन्द्र बीसाणी पिता श्री ब्रजेश बीसाणी 3. श्रीमती अलका बीसाणी पति श्री राजेन्द्र बीसाणी थे. तत्पश्चात् दिनांक 1 अप्रैल 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री आदित्य बीसाणी पिता श्री रजत बीसाणी भागीदारी फर्म मेसर्स आदित्य रियलिटीज में सम्मिलित हो गये हैं.

मेसर्स आदित्य रियलिटीज

1. राज बीसाणी
2. राजेन्द्र बीसाणी
3. अलका बीसाणी
4. आदित्य बीसाणी  
(भागीदार).

(G-2049)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसडी इन्फ्रा फर्म जिसका पता-17, सीताबाघ कॉलोनी, बिहाइंड रीगल, टॉकीज, इंदौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0165/23 दिनांक 3 जुलाई 2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री संजय दासोत पिता श्री देवेन्द्र कुमार दासोत 2. श्रीमती शिवानी दासोत पति श्री अमन दासोत थे. तत्पश्चात् दिनांक 01 अप्रैल 2024 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री अमन दासोत पिता श्री संजय दासोत भागीदारी फर्म मेसर्स एसडी इन्फ्रा में सम्मिलित हो गये हैं एवं श्रीमती शिवानी दासोत पति श्री अमन दासोत भागीदारी फर्म मेसर्स इन्फ्रा से पृथक हो गए हैं. प्रथकीय भागीदार ने फर्म मेसर्स एसडी इन्फ्रा से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है.

मेसर्स एसडी इन्फ्रा

1. संजय दासोत
  2. अमन दासोत
- (भागीदार)

(G-2050)

### CHANGE OF NAME

I, Sapna Tulsyani W/o Mr. Rajesh Tulsyani R/o MIG 34-A, Sanjeev Nagar, New Jail Road, Bhopal (M.P.), hereby declare that before marriage my name was Ku. Dheerja Chandwani D/o Mr. Indre Pal Chandwani. I got married according to Hindu customs with Mr. Rajesh Tulsyani & after marriage my name has been changed as Mrs. Sapna Tulsyani W/o Mr. Rajesh Tulsyani, after marriage I known as Mrs. Sapna Tulsyani W/o Mr. Rajesh Tulsyani for all purpose on every records.

Old Name

(Dheerja Chandwani)

(G-2051)

New Name

(Sapna Tulsyani)

### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अनुसा ग्रुप जिसका पता-बामोरा, जिला सागर, (म.प्र.) जिसका रजि. क्र. 06/09/01/00068/10 दिनांक 16 अगस्त 2010 से पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. राजकुमार सिंह पिता-श्री शिवराज सिंह, 2. लखन सिंह पिता श्री शिवराज सिंह 3. राजेश्वरी सिंह पति श्री राजकुमार सिंह 4. रेखा सिंह पति - श्री लखन सिंह. जिसमें सूचित किया जाता है कि फर्म अनुसा ग्रुप बामोरा जिला सागर में दिनांक 26 अगस्त 2021 से अनुराग सिंह पिता श्री राजकुमार सिंह दीपाली होटल के सामने, जबलपुर रोड, सागर फर्म में जुड़ रहे हैं.

मेसर्स अनुसा ग्रुप

राजकुमार सिंह  
(भागीदार)

(G-2052)

### नाम परिवर्तन

मैं, विशाल शिवहरे (VISHAL SHIVHARE) पुत्र विनोद कुमार शिवहरे (VINOD KUMAR SHIVHARE), निवासी-115, खाते वाली गली, निरंकारी बेकरी के सामने, जनकगंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.). सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम कई शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में विशाल गुप्ता (VISHAL GUPTA)/ विशाल कुमार गुप्ता (VISHAL KUMAR GUPTA)पुत्र विनोद गुप्ता (VINOD GUPTA)/विनोद कुमार गुप्ता (VINOD KUMAR GUPTA) दर्ज हो गया है. जबकि मेरा सही नाम विशाल शिवहरे (VISHAL SHIVHARE) पुत्र विनोद कुमार शिवहरे

(VINOD KUMAR SHIVHARE) है. अतः सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम विशाल शिवहरे (VISHAL SHIVHARE) पुत्र विनोद कुमार शिवहरे (VINOD KUMAR SHIVHARE) के नाम से ही जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा, पुकारा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम  
(विशाल गुप्ता)  
(VISHAL GUPTA)

(विशाल कुमार गुप्ता)  
(VISHAL KUMAR GUPTA)

(G-2053)

नया नाम  
(विशाल शिवहरे)  
(VISHAL SHIVHARE)

पुत्र  
(विनोद कुमार शिवहरे)  
(VINOD KUMAR SHIVHARE)

### नाम परिवर्तन

मैं, हरिशंकर शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री जिसका नाम अभी आधार कार्ड व अन्य में मान्या शर्मा पुत्री कपिल कुमार शर्मा था, जिसे अब परिवर्तन कर अंशिका शर्मा दत्तक पुत्री श्री हरिशंकर शर्मा कर लिया है, अतः अब से मेरी पुत्री का व पुत्री के पिता का नाम उसके आधार कार्ड सहित स्कूल व अन्य सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मान्या शर्मा पुत्री कपिल कुमार शर्मा की जगह अंशिका शर्मा दत्तक पुत्री श्री हरिशंकर शर्मा ही लिखा व पढ़ा जावे.

(G-2054)

आवेदक  
अंशिका शर्मा  
दत्तक पुत्री श्री हरिशंकर शर्मा  
लालपुरा, पोरसा जिला-मुरैना (म.प्र.)

### PUBLICATION

#### (NOTICE U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932)

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Aadishwaram Reality Registered office at 3rd Floor, 84/2 Shahid Park, Ujjain (M.P.) 456001 and Registration No. is 07/33/01/0003/23 dated 6 April 2023, which was constituted *vide* Partnership deed executed on 6 March 2023.

In this Partnership firm subsequently following changes have occurred on 22<sup>nd</sup> July 2024, Rahul Jat S/o. Prahlad Jat have voluntarily retired from the Partnership firm and 1. Dilip Agrawal, 2. Anita Agrawal, 3. Akash Agrawal, 4. Ankit Agrawal, 5. Bhavesh Patidar, 6. Anita Patidar, 7. Vishnu Patidar, 8. Mahesh Patidar, 9. Krishnapal Singh Solanki, 10. Shivpal Singh Solanki and 11. Nitesh Patidar have joined the firm as a new partner.

Now these 12 partners are the running Partners of the firm.

(G-2055)

M/S. Aadishwaram Reality  
Dilip Patidar  
(Partner).

### CHANGE OF NAME

I, Anshu Goyal hereby declare in behalf of my Daughter that I have changed my Daughter's Name spelling from Aadhya Goyal to Adhya Goyal. Henceforth in all of my Daughter's school's documents and other Govt. and non Govt. documents my Daughter's new name will written and read as Adhya Goyal.

(G-2056)

Applicant  
(Adhya Goyal)  
D/o. Anshu Goyal-Mother  
63, A 1, Bhagwandeem Nagar,  
Sapna Sangeeta Road, Indore, (M.P.)

## आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 21 मार्च 2024

क्र.1718-एसडब्ल्यू-एफ-92-2024.- आवेदक श्री अनिल चौहान, प्रोजेक्ट मैनेजर, आईएचबी प्राय. लिमिटेड, इंदौर का पत्र क्रमांक-IHB/Bhopal/PAD/1 date 11 मई 2023 प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश में कांडला गौरखपुर एलपीजी (केजीपीएल) के तहत इंटरमिडिएट पंप स्टेशन आईपीएस इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन (आईपीएस) और सेक्शनलाईजिंग वाल्व एसवी स्टेशन के लिए भूमि सर्वे नंबर 124/2/2 ग्राम कोठडा कुल रकबा 0.250 एवं सर्वे नं. 548/2/2, 549/1/2/1, 550/1/2/1 कुल 03 रकबा 0.2600 हे. भूमि पर इंटरमीडिएट एवं SV स्टेशन बना हुआ है. आवेदक आईएचबी प्रायवेट लिमिटेड इंदौर द्वारा इंटरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन एवं SV स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोनकच्छ जिला देवास को भेजकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया. जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि तहसील सोनकच्छ के ग्राम कोठडा स्थित सर्वे नं. 124/2/2 एवं ग्राम कराडियागडा के सर्वे नं. 548/2/2, 549/1/2/1, 550/1/2/1 कुल 03 रकबा 0.2600 हे. भूमि पर कंपनी द्वारा गैस पाइप लाइन के SV स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु बताया गया कि कंपनी द्वारा स्टेशन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है. एलपीजी अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम उत्पाद है, जिसकी सुरक्षा मध्यप्रदेश राज्य के सुरक्षा अधिनियम के तहत किये जाने का लेख किया है. SV (28) स्टेशन को प्रतिबंधित घोषित किये जाने की अनुशंसा की गई है.

अतः, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला देवास ग्राम कोठडा एवं कराडियागडा तहसील सोनकच्छ स्थित क्षेत्र को निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करता हूं :-

### अनुसूची

क्र.	प्रतिबंधित क्षेत्र का विवरण	सर्वे नंबर	ग्राम	तहसील	क्षेत्रफल (हे.में)	प्रतिबंधित क्षेत्र की चतुरसीमा
1	SV (28) आई एच बी लिमिटेड	124/2/2	कोठडा	सोनकच्छ	0.250	पूर्व-सर्वे नंबर 124/2/1 की भूमि पश्चिम - आम रास्ता उत्तर - सर्वे नं. 124/2/1 की भूमि दक्षिण - सर्वे नं. 124/1/1 की भूमि
2	SV (29)	548/2/2 549/1/2/1 550/1/2/1	कराडियागडा	सोनकच्छ	0.0100 0.1039 0.1461	पूर्व-सर्वे नंबर 550/1/2/2 की भूमि पश्चिम - आम रास्ता उत्तर - सर्वे नं. 549/1/1 एवं 550/1/1 की भूमि दक्षिण - सर्वे नं. 549/1/2/2 एवं 550/1/2/2 की भूमि



1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां पर वह व्यक्ति ऐसे अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.
5. कोई भी व्यक्ति जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किए गए किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व आय एच बी लिमिटेड इंदौर का रहेगा.

(G-2057)

ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

### क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 23 अगस्त 2024

क्र.-बस स्टेण्ड-07-2024.- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेश राठौड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सागर संभाग, सागर. स्थान इंदौर, भोपाल, जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, नागपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, झांसी, ग्वालियर, खरगापुर, नौगांव, विदिशा, गुना, अशोकनगर एवं ललितपुर इत्यादि शहरों की ओर से आने एवं जाने वाली प्रक्रम (Stage Carrige) वाहनों में यात्रियों को बैठाने एवं उतारने के लिए जन सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से स्थान आरटीओ कार्यालय के समीप नवीन बस स्टेण्ड क्रमांक-1 जिसका खसरा क्रमांक 233-2 (S) रकबा 4.00 हेक्टेयर है एवं लहदरानाका भोपाल रोड स्थित नवीन बस स्टेण्ड क्रमांक-2 जिसका खसरा क्रमांक 102(S) रकबा 1.7610 हेक्टेयर को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत उक्त दोनों "बस स्टेण्ड" अधिसूचित घोषित करता हूँ.

(G-2058)

राजेश राठौड़, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार.

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड मंदसौर, जिला मंदसौर

मंदसौर, दिनांक 28 अगस्त 2024

नियम-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिये]

पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष

प्र.क्र.05-बी-113(1)-24-25-1626.- चूंकि श्री सौधर्म वृहत्तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक श्री आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर श्री संघ, अमलावद, तह. व जिला मंदसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30 ) धारा 4 के अधीन अनुसूची ने लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर 2024 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करता/करती है.

अतः शिवलाल शाक्य, पंजीयक, लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 30 सितम्बर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या व्यक्तिशः अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवाधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों का विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा :-

#### संपत्ति का विवरण

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| (अ) अचल संपत्ति | — | दो कृषि भूमि हस्ते सुरजमल पिता मन्नालाल कर्नावट एवं बागमल रखबदास नाहर द्वारा 1. ग्राम सेजपुरिया में दिनांक 16 अप्रैल 1971 में भागीरथ पिता सुखाजी जाति कुमावत निवासी सेजपुरिया से रकबा 6 बीघा (1254 आरी) जमीन एवं 2. ग्राम अमलावद में वर्ष 1975-76 से रकबा 1.693 (आरी) कृषि भूमि क्रय की गई जो वर्तमान में न्यास की संपत्ति है. |
| (ब) चल संपत्ति  | — | 3 लाख  |

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायसेन, जिला रायसेन

प्रारूप—चार

[ नियम 5(1) देखिये ]

[ मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा 5 और  
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए ]

प्र.क्र.—0001—बी—113—2024—25—कस्बा रायसेन, तहसील व जिला रायसेन.—चूंकि, आवेदकगण श्री किशोर वर्मा आ. श्री भगवान दास वर्मा, वार्ड क्रमांक 17 हॉउसिंग बोर्ड रायसेन, तहसील व जिला रायसेन अन्य 22 द्वारा एक आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है।

अतः, मैं, मुकेश सिंह, पंजीयक, लोक न्यास, रायसेन, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

न्यास का नाम —	सिद्धेश्वर मंदिर सेवा ट्रस्ट
न्यास का कार्यालय —	वार्ड नं. 18, चौपड़ा मोहल्ला, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन
अचल संपत्ति —	नजूल सीट क्र. 31, खाता नं. 43, रकबा 238.50 रायसेन, तहसील व जिला रायसेन.

(G-2060)

मुकेश सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट वृत्त, गोविन्दपुरा, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2024

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम,  
1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत ]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल

क्रमांक—200—अ.वि.अ.—वृत्तगो—24.—जैसा कि आवेदक संस्था "आचार्य विद्या—सुव्रतसागर जैन फाउंडेशन" पंजीकृत कार्यालय—एच बी 64, अभिरुचि परिसर, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.) 462023 के द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

## अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता :-	आचार्य विद्या-सुव्रतसागर जैन फाउंडेशन एच बी 64, अभिरुचि परिसर, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.) 462023
न्यास कार्यालय का पता :-	एच बी 64, अभिरुचि परिसर, ओल्ड सुभाष नगर, भोपाल (म.प्र.) 462023
अचल सम्पत्ति :-	निरंक
चल सम्पत्ति :-	1000

(G-2061)

रवीश श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, रांझी, जबलपुर

## मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1961 अंतर्गत धारा 9 के तहत

राजस्व प्रकरण क्र.-0002-बी-113(4)-2024-25.- लोक न्यास के मामले में श्री मनीष एस. गिडियन आत्मज स्व. श्री सी.आर. गिडियन, निवासी-सी.बी.होम बिल्डिंग, ब्लॉक-1007, नेपियर टाउन जबलपुर, मध्यप्रदेश लोक न्यास के कार्यकारी सचिव/यासी मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1961 की धारा 9 के अधीन उपरोक्त न्यास से संदर्भित लोक न्यास की पंजी में निम्नलिखित परिवर्तन प्रविष्टि करने के लिये एतद्द्वारा आवेदन किया गया है जिसमें न्यास की बोर्ड मीटिंग, दिनांक 11 जुलाई 2024 में सभी उपस्थित न्यासिगणों द्वारा एक मत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से न्यास में नियुक्ति/प्रतिस्थापित किये गये निम्नलिखित नवीन न्यासीगणों का नाम न्यासीगण के नाम से पंजी में जोड़े/प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आवेदन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	न्यासी का नाम	पद
1	विशप एम. ए. डेनियल	चेयरमेन
2	रेव. मनीष एस. गिडियन	न्यासी/कार्यकारी सचिव
3	रेव. एरिफ पी. नाथ	न्यासी/कान्फ्रेंस सचिव
4	रेव. जेकब सिंह	न्यासी
5	रेव. जोर्डन जी. डिवाईन	न्यासी
6	रेव. नेथेनियम सिक्का	न्यासी
7	रेव. विक्टर डेनियन	न्यासी
8	रेव. अक्बर दास	न्यासी
9	रेव. विनले एस. पीटर	न्यासी
10	रेव. रविन्द्र नाथ	न्यासी
11	सुश्री अनीता बाघ	न्यासी
12	श्री रवि के. प्रसाद	न्यासी
13	रेव. अनास पी. चार्ल्स	न्यासी
14	रेव. बिउएला दास	न्यासी
15	रेव. श्रीमति पर्सेस पीटर्स	न्यासी
16	रेव. सुरेश कुमार	न्यासी
17	रेव. फेडरिक सोमा	न्यासी
18	डॉ. श्रीमति रविजा सोनजा राम	न्यासी
19	श्री आशीष फ्रान्सेस	न्यासी
20	श्री आशा निधि आनंद	न्यासी
21	श्री शैलेन्द्र सिंह	न्यासी
22	श्री विनय तांडी	न्यासी
23	डॉ. शैलेन्द्र लाल	न्यासी

अपीलार्थीगणों/ट्रस्टियों की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषि राज सिंह गौड़ के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 9 के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर न्यास की बोर्ड मीटिंग दिनांक 11 जुलाई 2024 में सभी उपस्थित न्यासिगणों द्वारा एक मत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से न्यास में नियुक्ति/प्रतिस्थापित किये गये निम्नलिखित नवीन न्यासीगणों का नाम न्यासीगण के नाम से पंजी में जोड़े/प्रतिस्थापित किये जाने हेतु आवेदन किया है।

अतः एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 20 सितम्बर 2024 को विचार के लिये नियत है। कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने के विचार रखता हो उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

जारी दिनांक 5 सितम्बर 2024

(G-2062)

रघुबीर सिंह मरावी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), हरसूद, जिला खण्डवा

हरसूद, दिनांक 22 अगस्त 2024

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.0001-बी-113(1)-2022-23.-वाचक-1-2024-2752.- जैसा कि कैलाश पिता कोदरमल गोयल निवासी-खालवा तहसील खालवा जिला खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित/न्यास संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को विचार किया जायेगा।

उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम	:	“रामेश्वर मंदिर ट्रस्ट खालवा” तहसील खालवा, जिला खण्डवा
चल संपत्ति	:	निरंक
अचल संपत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के अधीन जारी किया गया।

(G-2063)

पुरुषोत्तम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 12 अगस्त 2024

[नियम 57 (ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-परि-24-जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजी. क्र./ दिनांक	परिसमापन आदेश
1.	पिछड़ा विकास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या. सिवनी	1046	1787/18.08.2022
2.	गोल्डी महिला जागृति सिलाई एवं कढ़ाई उद्योग सहकारी समिति मर्या. सिवनी.	1127	1793/18.08.2022
3.	राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कातलबोडी	1063	1615/08.08.2022
4.	वर्नी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. फरेदा	1069	1621/08.08.2022
5.	शिवाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. जाम	1073	1624/08.08.2022
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. सिवनी	80	430/31.03.2017
7.	शिक्षित बेरोजगार कल्याण मुद्रण सहकारी समिति सिवनी	405	430/31.03.2017
8.	प्राथमिक स्टोन क्रेजर सहकारी समिति मर्या. सिवनी	288	430/31.03.2017
9.	स्वतंत्र युवा शक्ति संगठन सहकारी समिति मर्या. सिवनी	956	1722/16.08.2022
10.	सहयोग साख एवं कल्याण सहकारी समिति मर्या. सिवनी (राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के सहयोग से गठित जिला स्तरीय क्रेडिट सोसायटी).	1017	1786/18.08.2022
11.	प्रियदर्शनी गृह निर्माण सहकारी समिति सिवनी	462	2132/17.12.2019
12.	सेल्फ एम्पलायमेंट एक्सचेंज एजुकेशन सहकारी समिति मर्या. सिवनी.	953	1720/18.08.2022
13.	संरक्षण सांस्कृति पुरातत्व एवं पर्यावरण संरक्षण संवर्धन सहकारी समिति मर्या. सिवनी.	959	1724/18.08.2022
14.	दिव्य प्रेम महिला सहकारी समिति मर्या. सिवनी	963	1726/16.08.2022
15.	सूचना तकनीकी सेवा सहकारी समिति मर्या. सिवनी	967	1728/16.08.2022
16.	सोनिया गांधी उपभोक्ता सहकारी भंडार सिवनी	756	2134/17.12.2019
17.	चंद्रवंशी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कन्हान पिपरिया	1064	1616/08.08.2022
18.	प्राथमिक लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या. गहरूटोला	1020	1676/08.08.2022

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः मैं, नेहा मर्सकोले परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-2064)

नेहा मर्सकोले, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 सितम्बर 2024—भाद्र 29, शक 1946

**भाग 3 ( 2 )**

**सांख्यिकी सूचनाएँ**

(कुछ नहीं)